

न्यायालय सिविल जज (सी0डि0), सहारनपुर।

मूलवाद संख्या 1243/2022 (CNR NO. UPSP05-002147-2022)

श्रीमी सबीहा तब्बसुम बनाम मौ0 साजिद आदि

12.11.2022

पत्रावली आज लोक अदालत में प्रस्तुत हुई। पक्षकार विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित है। पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुलहनामा कागज संख्या 22क-1 पर सुना गया।

पक्षकारों की ओर से सुलहनामा कागज संख्या-22क-1 दाखिल किया गया है, जिसमें कहा गया है कि दोनों पक्षों के मध्य चंद भले व्यक्तियों के आ जाने से आपसी सुलह इस प्रकार से हो गयी है कि पक्षकारों को वादपत्र व उसके साथ लगे नक्शे में अनुसार अपनी अपनी सम्पत्ति का मालिक काबिज होना स्वीकार है। कोई भी पक्षकार एक दूसरे की सम्पत्ति में कोई दखल नहीं देगा। प्रत्येक को उसकी सम्पत्ति स्वतंत्र रूप से इस्तेमाल करने देगा। अब कोई झगडा पक्षकारों के बीच बाकी नहीं रह गया। खर्चा पक्षकारगण अपना-अपना वहन करेंगे। प्रार्थना की गयी है कि वाद उपरोक्त को सुलहनामे के अनुसार तय फरमाया जाकर सुलहनामे को डिक्री का भाग बनाया जाये।

प्रार्थी के कथनानुसार बजरिये हिबा जुबानी के आधार पर वादपत्र में वर्णित सम्पत्ति पर काबिज दाखिल है।

सुलहनामा की शर्तों को पक्षकारों के द्वारा स्वीकार किया गया। वादिनी श्रीमती सबीहा तब्बसुम को उनके विद्वान अधिवक्ता श्री भारती भानू एडवोकेट एवं प्रतिवादीगण मौ0 साजिद, मौ0 साकिब को उनके विद्वान अधिवक्ता श्री कोमल कुमार एडवोकेट द्वारा शनाख्त किया गया है। सुलहनामा कागज संख्या-22क-1 को उभयपक्षों को पढकर सुनाया व समझाया गया तथा पक्षकार व उनके विद्वान अधिवक्तागण की उपस्थिति में न्यायालय द्वारा तस्दीक किया गया। प्रस्तुत वाद सुलहनामा कागज संख्या-22क-1 की शर्तों के अधीन निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

मूलवाद संख्या 1243/2022 श्रीमती सबीहा तब्बसुम बनाम मौ0 साजिद आदि दाखिल सन्धिपत्र कागज संख्या 22क-1 के आधार पर निम्न शर्तों के अधीन निर्णीत किया जाता है।

- 1- सन्धिपत्र कागज संख्या 22क-1 केवल उपस्थित पक्षकारों पर लागू होगा।
- 2- यदि प्रश्नगत सन्धिपत्र के अन्तर्गत सम्पत्ति का अन्तरण अन्तरवलित होगा और उस अन्तरण पर नियमानुसार कोई रजिस्ट्रेशन शुल्क अथवा स्टाम्प शुल्क देय होगा, तो प्रश्नगत आदेश उक्त रजिस्ट्रेशन शुल्क अथवा स्टाम्प शुल्क नियमानुसार दिये जाने के पश्चात ही प्रभावी समझा जायेगा।
- 3- वादपत्र में वर्णित विषय वस्तु से भिन्न होने पर उक्त सन्धिपत्र प्रभावी नहीं होगा तथा सुलहनामा की शर्त यदि किसी वर्तमान विधि के किसी प्रावधान के विपरीत हो तो उस सीमा तक यह सुलहनामा शून्य होगा।
- 4- उक्त सन्धिपत्र कागज संख्या 22क-1 का किसी भी न्यायालय की कार्यवाही पर व प्रश्नगत सम्पत्ति से सम्बन्धित किसी अन्य विवाद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- 5- उक्त सन्धिपत्र के माध्यम से यदि किसी तृतीय पक्ष का हित प्रभावित होता है तो उक्त सन्धिपत्र प्रभावी नहीं होगा। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि पक्षकारों द्वारा प्रकरण में किसी प्रकार का तथ्य गोपन किया गया होगा तो उक्त तथ्य के संज्ञान में आते ही प्रश्नगत

आदेश स्वतः निष्प्रभावी हो जायेगा।

सुलहनामा कागज संख्या-22क-1 डिक्री का अंश रहेगा। पक्षकार खर्चा अपना अपना वहन करेगे। उक्त सुलहनामा कागज संख्या-22क-1 विधि के उपबन्धों के अधीन प्रभावी होगा।

(श्रीपाल सिंह)
सिविल जज, (सी0डि0),
सहारनपुर।